पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 242 /अका/2005

28 जनवरी 2005
02-02-2005

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28 जनवरी 2005 को सायं 5 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थें-

1	प्रोफेसर बी.पी. चन्द्रा, कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रोफेसर ओ.पी. वर्मा, रेक्टर	सदस्य
3	प्रोफेसर जी.एल. मूंधड़ा	सदस्य
4	प्रोफेसर हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
5	प्रोफेसर आर.पी. दास	सदस्य
6	प्रोफेसर एम.ए. खान	सदस्य
7	प्रोफेसर बी.के. मेहता	सदस्य
8	डा कु. उर्मिला रानी गुप्ता	सदस्य
9	डा जी.डी. साव	सदस्य
10	श्री रमेश नैयर	सदस्य
11	डॉ. ए.के. बंसल	सदस्य
12	डॉ जी.बी. गुप्ता	सदस्य
13	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त-

विषय क्रमांक 1.

कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 16.12.2004, 01.01.2005 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 9.11.04 के कार्यवृत्त को (कार्यवृत्त सलग्न–परिशिष्ट क एवं ख) निम्न संशोधनों के साथ संपुष्टि करना। संपन्न कार्य परिषद की बैठक दिनांक 9.11.2004 के कार्यवृत्त में विषय क्रमांक 9 में रामाधार शर्मा एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य तकनीकी अधिकारियों /वरिष्ठ तकनीकी सहायक के वेतनमान रू 2000–4000 पांचवें वेतनमान में 8000–275–13500 प्रदान करने के प्रकरण पर परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा दी गई अनुशंसा को मान्य किए यह वेतनमान दिनांक 25.07.1997 से देने हेतु अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त वेतनमान प्राप्त करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी जावे। उक्त निर्णय के रेखांकित अंश को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाय यह भी निर्णय लिया गया कि इनके समकक्ष पद वाले कर्मचारी जैसे– एनालिस्ट एवं क्राटोग्राफर को भी यह सुविधा दी जाये।

विषय क्रमांक 16 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ. शैलेन्द्र सराफ को दिनांक 06.11.2002 से श्री एस.जे. डहरवाल को दिनांक 29.10.2002 से स्थायी करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। निर्णय के रेखांकित अंश को संशोधन कर निम्नानुसार पढ़ा जाय – सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ. शैलेन्द्र सराफ को दिनांक 06.11.2004 एवं श्री एस.जी. डहरवाल को 29.10.2004 से स्थायी करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 20 में श्री जगेलाल गहरे व्याख्याता तुलनात्मक धर्म एवं दर्शन शास्त्र के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन्हे वरिष्ठ वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त निर्णय के उपरोक्त रेखाकित अंश में निम्नानुसार संशोधन किया जावे – श्री जगेलाल गहरे के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 929/सा.प्र./2003, रायपुर दिनांक 20 फरवरी 2003 को संशोधित करते हुए 01.01.1986 से लागू वरिष्ठ वेतनमान (3000–5000) में स्थानन दिनांक 12 मार्च 199 7 घोषित की गई। एवं आदेश क्रमांक 9265/सा.प्र./2003 दिनांक 29.9.2003 में संशोधन करते हुए स्थानन सेलेक्शन ग्रेड (1.1.96 से लागू नियमानुसार 12000–18300 वेतनमान में) दिनांक 12 मार्च 2000 से स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त संशोधनों के साथ उपरोक्त कार्य परिषद् के कार्यवृत्तों को संपुष्टि करना।

निर्णय - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्थायी समिति की बैठक दिनांक 4.11.2004 के कार्यवृत्त विषय क्रमांक 1 संबंधित विभाग द्वारा निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.1.2005 के विषय क्रमांक 14 पेंशन प्रकरण का निराकरण शीघ्रताशीघ्र आवश्यक है अतः इसके लिये संबंधितों से संपर्क कर अतिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें। पेंशन शिविर के लिये भी प्रयास किया जावे। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 9.11.2004 के पूरक सूची विषय क्रमांक 1 में संचालक पद पर नियुक्ति के स्थान पर संचालक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, सुधार किया जावे।

उपरोक्त निर्णय के साथ कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 16.12.2004, दिनांक 1.1.2005 एवं बैठक दिनांक 9.11.2004 के कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक 2

जैविकी अध्ययन शाला में GelDOCxR एवं अन्य दस उपकरण मूल्य रू. 7,84,054/– (रू. सात लाख चौरासी हजार चौवन मात्र) के क्रय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

टीपः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जैविकी अध्ययन शाला को स्वीकृत स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत शोध कार्य करने हेतु GelDOCxR एवं अन्य सहायक उपकरण बायोरेड लेबोरेटरी इंडिया प्रा.लि. बैंगलोर से क्रय किया जाना है। इस हेतु एस.ए.पी. के अंतर्गत स्वीकृत मद से रू. 7,84,054/– का भुगतान किया जावेगा। उक्त उपकरण के क्रय हेतु DPC & CPC के द्वारा अनुशंसित है।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 3

शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु शोध उपाधि समिति की अनुशंसा पर विचार करना –

क्रमांक	महाविद्यालय		विषय
1.	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	–	वाणिज्य, अर्थशास्त्र
2.	शास. डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार	–	हिन्दी, वाणिज्य
3.	कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर	–	रसायन, हिन्दी
4.	शंकराचार्य कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई	–	एप्लायड मेथेमेटिक्स
5.	बी.आई.टी., दुर्ग	–	एप्लायड मेथेमेटिक्स
6.	शास. कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	–	हिन्दी
7.	शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय,दुर्ग	–	इतिहास, राजनीति विज्ञान, रसायन,

		हिन्दी, वाणिज्य
▪ शास. नेहरू महाविद्यालय, डोंगरगढ़	–	वाणिज्य
▪ शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव–		वाणिज्य

निर्णय सर्वसम्मति से शोध उपाधि समिति द्वारा की गई अनुशंसा को अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 4

विश्वविद्यालय के सभी विभागों के भवन एवं उपकरण की सामान्य बीमा (चोरी एवं दुर्घटना) कराने के संबंध में विचार करना।

टीप :– विश्वविद्यालय परिसर 207 एकड़ में फैला हुआ है, प्रशासनिक भवन के साथ लगभग 29 शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती है। विश्वविद्यालय परिसर में ग्रंथालय, आडिटोरियम, स्वास्थ्य केन्द्र ,छात्रावास, जिम्नेशियम हॉल भी स्थित है। उक्त भवनों में महंगे उपकरण उपलब्ध है जिनका चोरी, आग, एवं अन्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय की पूरी संपत्ति का सामान्य बीमा कराया जाय। जिससे कोई दुर्घटना या चोरी होने पर क्षतिपूर्ति किया जा सके। प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों के भवन एवं उपकरण की सामान्य बीमा कराने के संबंध में जानकारी एवं वैधानिक स्थिति का पता करा लिया जावे।

विषय क्रमांक 5

विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा केलिए सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से संविदा पर सुरक्षा अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त करने के संबंध में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

टीप –विश्वविद्यालय परिसर में अनेक विभागों से शिकायत प्राप्त होती रही है कि रात में चोरियां हो रही है। विश्वविद्यालय परिसर 207 एकड़ में फैला हुआ है और वर्तमान में इसकी सुरक्षा हेतु जो रात्रिकालिन चौकीदार तैनात किये गये है वे पर्याप्त नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय परिसर में कई विभागों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एवं इन नये विभागों में बहुत से कीमती उपकरण यथा कम्प्यूटर आदि बहुत महंगे उपकरण है। अतः विश्वविद्यालय परिसर के उचित सुरक्षा के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि रात्रि कालीन सुरक्षा में चौकसी बरती जाए इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से संपर्क किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रिकालीन सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 8 सुरक्षा कर्मचारी एवं 1 सुरक्षा अधिकारी संविदा आधार पर लिया जा सकता है। प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि जिन संस्थाओं में सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है उसकी जानकारी प्राप्त कर अध्ययन कर लिया जावे।

विषय क्रमांक 6

वार्षिक परीक्षा 2005 के लिए केन्द्र का निर्धारण करने पर विचार करना।

टीप –वार्षिक परीक्षा 2005, 18 फरवरी एवं बी.काम., बी.एस.सी., बी.ए. इत्यादि की परीक्षाएं 9 मार्च से प्रारंभ है। इसके लिए केन्द्र का निर्धारण किया जाना है। पूर्व वर्षों का यह अनुभव रहा है कि नये महाविद्यालय एवं ऐसे छोटे महाविद्यालय जहां विद्यार्थीयों की संख्या 100 से भी कम है, परीक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं रही तथा विश्वविद्यालय को परीक्षा केन्द्र के संचालन में भी अधिक व्यय हुआ है। परीक्षा को व्यवस्थित रूप से संचालित कर एवं व्यय भार में कमी तथा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि ऐसे महाविद्यालयों को जहाँ

विद्यार्थियों की संख्या सौ से कम है परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जावे। परंतु यह भी विशेष ध्यान रखा जाय कि उ महाविद्यालय संवेदनशील या दूरस्थ स्थानों पर खोले गए हैं तथा जहां शासकीय महाविद्यालय नही हैं। उन्हे। परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। यदि आवश्यक हो तो ऐसे महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय की ओर र पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जावे। प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी महाविद्यालय द्वारा व के संबंध में संख्या के आधार पर, गोपनीयता या अन्य दृष्टि से ठोस प्रमाण के साथ केंद्र के लिये आवेद- करते है तो केंद्र प्रदान करने के संबंध में कुलपति जी अधिकृत होंगे।

विषय क्रमांक 7

डॉ. (श्रीमती) वीना पाठक, सहायक संचालक, प्रौढ़ शिक्षा को स्वयं के इलाज के लिए कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4) के प्रावधानों के अंतर्गत रू. 50,000/- चिकित्सा प्रतिपूर्ति अग्रिम स्वीकृति की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 8

विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक सहायक/डाटा एंट्री आपरेटर को संशोधित वेतनमान रू. 5500-175-9000 स्वीकृत करने बाबत।

टीपः- वर्तमान में विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक/ डाटा एंट्री आपरेटर को वेतनमान रू. 4500-125-7000 दिया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ के गुरूधासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, छ.ग. शासन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर तथा मध्यप्रदेश के जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में संशोधित वेतनमान रू. 5500-175-9000 दिया जा रहा है। प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में कार्यरत तकनीकी सहायक/डाटा एंट्री आपरेटर को संशोधित वेतनमान रू.5500-175-9000 दिनांक 1.1.1996 से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 9

विश्वविद्यालय वित्त समिति द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2003-2004 का वास्तविक, 2004-2005 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2005-2006 का अनुमानित, आय -व्यय पत्रक अनुमोदन करने के प्रकरण पर विचार करना।

टीपः-विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24-ए (1) के अंतर्गत निर्मित वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वास्तविक 2003-2004, पुनरीक्षित 2004-2005 तथा अनुमानित 2005-2006 दिनांक 10.01.2005 की बैठक में अनुशंसित किया गया। प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (बजट पटल पर प्रस्तुत किया जावेगा।)

निर्णय यह निर्णय लिया गया कि सदस्यगण बजट का अध्ययन कर जो सुझाव देना चाहे वे एक सप्ताह के भीतर कुलपति जी को प्रस्तुत कर सकते है। इन सुझावों के अनुसार बजट अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।

विषय क्रमांक 10

विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2003–2004 का उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।

टीप – इस संदर्भ में वर्ष 1964–65 से वर्ष 2002–03 तक कुल 1471 आपत्तियां प्राप्त हुई जिसमें से 1284 आपत्तियाँ निराकृत की गई। तथा 187 आपत्तियाँ शेष है। जिसे निराकरण करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। (सूची संलग्न है)

निर्णय सूचना ग्रहण की गई एवं निर्देशित किया गया कि शेष आपत्तियों का निराकरण शीघ्र किया जावे।

विषय क्रमांक 11 राजभवन से प्राप्त पत्र क्रमांक 628/आर.बी./एल.ए./2004 दिनांक 30.11.2004 के संदर्भ में कु.अंजली रस्तोगी एवं श्री कुलदीप महेन्द्र, छात्र एम.टेक. कम्प्यूटर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 12.पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अध्ययनरत सुनामी से प्रभावित विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क, अध्ययन शुल्क, परीक्षा, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला एवं छात्रावास शुल्क माफ करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से सुनामी से प्रभावित विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क, अध्ययन शुल्क, परीक्षा, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला एवं छात्रावास शुल्क को माफ करने की स्वीकृति दी गई। यह माफी सत्र 2004-05 से दी जायेगी।

विषय क्रमांक 13.विश्वविद्यालय द्वारा भवन अग्रिम, वाहन अग्रिम एवं कम्प्यूटर अग्रिम के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण का ब्याज राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याज के समतुल्य रखने के बारे में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर शासन के नियमानुसार ही कार्यवाही की जावे।

विषय क्रमांक 14.विश्वविद्यालय के भवन समिति की बैठक दिनांक 24.01.2005 की अनुशंसा को अनुमोदन करने पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 15.केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक 25.01.2005 को सम्पन्न बैठक में विभिन्न अध्ययन शालाओं/ विभागों के द्वारा क्रय किये जाने वाले सामग्री की अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

(अ) दिनांक 23.12.2004 के विभागीय क्रय समिति, रसायन अध्ययन शाला एवं 25.01.2005 के सी.पी.सी. के अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय रसायन अध्ययन शाला के लिए रू. 6,41,619/– मूल्य के Flame Ionization एवं अन्य उपकरण गुणवत्ता के आधार पर बजट में रखी गयी राशि रू. 9,00,000/– में से M/s. Advance Technical Service,

Delhi से क्रय किये जाने हेतु राशि रू. 6,41,616/- की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

(ब) दिनांक 30.12.2004 को सम्पन्न विभागीय क्रय समिति, रसायन अध्ययन शाला एवं दिनांक 25.01.2005 को सम्पन्न केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक के अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय रसायन अध्ययन शाला के लिए रू. 5,99,130/- मूल्य के Gas Chromatography उपकरण बजट में रखी गयी राशि रू. 6,00,000/- में से M/s Advance Technical Service, Delhi से क्रय किये जाने हेतु राशि रू. 5,99,130/- की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 16.तृतीय वर्ग कर्मचारियों के पदोन्नति के प्रकरण में कार्य परिषद द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से पदोन्नति समिति की अनुशंसा को अनुमोदित की गई। समिति द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया तथा विधिक सलाह प्राप्त होने के बाद समिति की अनुशंसा के आधार पर आगामी कार्यवाही किया जावे।

विषय क्रमांक 17.दिनांक 28.01.2005 को सम्पन्न स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त की अनुशंसा का अनुमोदन प्रदान करने बाबत ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 18.विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करना ।

टीप :– उपाधि, नामांकन, माइग्रेशन एवं डुप्लीकेट मार्कशीट प्रदान करने से सम्बन्धित विभाग में डॉ. सुजीत सेन, तकनीकी अधिकारी, भू–गर्भ विज्ञान की सेवा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है । प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 19.ग्रंथागार की अध्ययन सामग्रियों की डाटा एन्ट्री एवं बारकोडिंग किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति बाबत ।

टीप :– ग्रन्थागार का पूर्ण आटोमेशन किया जाना है इसके लिए इन्फलिबनेट से सॉफ्टवेयर क्रय किया जा चुका है । पूर्ण आटोमेशन हेतु प्रथम चरण में 1,30,000 पाठ्य सामग्रियों (पुस्तकें, शोध पत्रिकायें एवं शोध ग्रन्थों) का डाटा एन्ट्री एवं बारकोडिंग किया जाना है । प्रति पाठ्य सामग्री डाटा एण्ट्री पर रू. 4.00 तथा बारकोडिंग (पेपर सहित) पर रू. 1.00 कुल रू. 5.00 अनुमानित है । यह कार्य संविदा आधार पर किया जाना है, जिस

संबंधित फर्म अपने स्वयं के कम्प्यूटर पर ग्रन्थागार भवन में कार्य करेगा । उपरोक्त कार्य पर राशि रू. 6.50 लाख का व्यय अनुमानित है, जो कि विश्वविद्यालय बजट में ग्रन्थागार के लिए प्रावधानित फर्नीचर एवं इक्वीपमेंट राशि रू. 10.00 लाख में से देय प्रस्तावित है । प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

विषय क्रमांक 20 अर्जेन्ट उपाधि के लिये अतिरिक्त शुल्क लेने के संबंध में विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अर्जेन्ट उपाधि प्रदान करने हेतु रुपये 200/- अतिरिक्त शुल्क लेने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 21 नानक चंद रमेश अग्रवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खरोरा में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा को अनुमोदित करना।

निर्णय सर्वसम्मति से नानक चंद रमेश अग्रवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय खरोरा में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु गठित समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी डॉ.संजीव सिरपुरकर के नाम को अनुमोदित की गई।

विषय क्रमांक 22 डॉ.एम.ए.खान,सदस्य कार्यपरिषद के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 392 दिनांक 25.1.2005 पर विचार करना।

टीप माननीय सदस्य ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि चुनाव में बडी संख्या में वि.वि. के शिक्षकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की डयूटी लगाने से वि.वि. का कार्य एवं शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित होता है। विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत तथा अन्य चुनावों में पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. के शिक्षकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की डयूटी यथासंभव न लगायी जाये। यदि आवश्यक हो तो शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डयूटी उनके पद, वेतनमान तथा वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये लगायी जावे। इसके लिये निर्वाचन आयोग की निर्देशिका के तृतीय अध्यान की कंडिका 2.7 तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 26.8.2004 का पालन किया जाये।

निर्णय सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसे समन्वय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांक 23 प्रो.हर्षवर्धन तिवारी द्वारा नियमों का उल्लंघन कर उच्च अधिकारियों को पत्र लिखना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण की जांच के लिये प्रो.एम.ए.खान एवं प्रो.जी.एल.मूंदड़ा की एक समिति बनाई जावे।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 213 /अका/2005 रायपुर, 28 जनवरी 2005

02-02-2005

प्रतिलिपि

1 प्रोफेसर ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
२ प्रोफेसर जी.एल.मूंदडा, आचार्य, रसायन अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
3 प्रोफेसर आर.पी.दास, आचार्य, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि.रायपुर।
4. प्रोफेसर बी.के.मेहता, आचार्य, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
5. प्रोफेसर हर्षवर्धन तिवारी, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन शाला।
6. प्रोफेसर एम.ए.खान, आचार्य, इतिहास अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
7. डा जी.डी.साव, प्राचार्य, शास.महाविद्यालय दुर्ग।
८ डा हेमलता महोबे, प्राचार्य, दिग्विजय महा.राजनांदगांव
8 डा.अशोक कुमार बंसल, प्राचार्य, बी.पी.देव महा, कांकेर
9. डा उर्मिला रानी गुप्ता, प्राचार्य, शास.महाविद्यालय बलौदा बाजार।
10. प्रोफेसर आर.सी.मेहरोत्रा, रायपुर
11 श्री भागवत प्रसाद चन्द्राकर, अर्जुन्दा, जिला दुर्ग
12 पं.रामसुन्दर दास महंत, दूधाधारी वैष्णव मठ, रायपुर ।
१३ डा जी.बी.गुप्ता, पं.जे.एल.एन.मेडिकल कॉलेज, रायपुर
14. श्री रमेश नैयर, संपादक, हरिभूमि, रायपुर।
१५ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर ।
१६ सचिव,वित्त विभाग,छत्तीसगढ़ शासन, डीं.के.एस.भवन ,रायपुर।
१७. राज्यपाल के सचिव,राजभवन ,रायपुर ।
१८ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर।
१९ वित्तअधिकारी/आवासीयअंकेक्षणपं.र.शु.वि.वि.रायपुर/उपकुलसचिवअकादमिक/उपकुलसचिव गोपनीय/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रशासन, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा/ सेमेस्टर परीक्षा, विश्वविद्यालय यंत्री,पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.01.2005 की पूरक विषय सूची :–

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में अध्ययनरत सुनामी से प्रभावित विद्यार्थियों के अध्ययन शुल्क, परीक्षा, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला एवं छात्रावास शुल्क माफ करने के प्रकरण पर विचार करना ।

2. विश्वविद्यालय द्वारा भवन अग्रिम, वाहन अग्रिम एवं कम्प्यूटर अग्रिम के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण का ब्याज राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याज के समतुल्य रखने के बारे में विचार करना ।

3. विश्वविद्यालय के भवन समिति की बैठक दिनांक 24.01.2005 की अनुशंसा को अनुमोदन करने पर विचार करना ।

   (भवन समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है)

4. केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक 25.01.2005 को सम्पन्न बैठक में विभिन्न अध्ययन शालाओं/ विभागों के द्वारा क्रय किये जाने वाले सामग्री की अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

   (अ) दिनांक 23.12.2004 के विभागीय क्रय समिति, रसायन अध्ययन शाला एवं 25.01.2005 के सी.पी.सी. के अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय रसायन अध्ययन शाला के लिए रू. 6,41,619/– मूल्य के **Flame Ionization** एवं अन्य उपकरण गुणवत्ता के आधार पर बजट में रखी गयी राशि रू. 9,00,000/– में से **M/s. Advance Technical Service, Delhi** से क्रय किये जाने हेतु राशि रू. 6,41,616/– की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

   (ब) दिनांक 30.12.2004 को सम्पन्न विभागीय क्रय समिति, रसायन अध्ययन शाला एवं दिनांक 25.01.2005 को सम्पन्न केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक के अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय रसायन अध्ययन शाला के लिए रू. 5,99,130/– मूल्य के **Gas Chromatography** उपकरण बजट में रखी गयी राशि रू. 6,00,000/– में से **M/s. Advance Technical Service, Delhi** से क्रय किये जाने हेतु राशि रू. 5,99,130/– की स्वीकृति प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

5. तृतीय वर्ग कर्मचारियों के पदोन्नति के प्रकरण में कार्य परिषद द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार करना ।

6. दिनांक 28.01.2005 को सम्पन्न स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त की अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने बाबत ।

7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करना ।

   टीप :– उपाधि, नामांकन, माइग्रेशन एवं डुप्लीकेट मार्कशीट प्रदान करने से सम्बन्धित विभाग में डॉ. सुजीत सेन, तकनीकी अधिकारी, भू–गर्भ विज्ञान की सेवा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में लिया जाना प्रस्तावित है । प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष ~~कार्य परिषद के समक्ष~~ विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

8. ग्रंथागार की अध्ययन सामग्रियों की डाटा एन्ट्री एवं बारकोडिंग किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति बाबत ।

...02

टीप :— ग्रन्थागार का पूर्ण आटोमेशन किया जाना हैं इसके लिए इन्फलिबनेट से सॉफ्टवेयर क्रय किया जा चुका है । पूर्ण आटोमेशन हेतु प्रथम चरण में 1,30,000 पाठ्य सामग्रियों (पुस्तकें, शोध पत्रिकायें एवं शोध ग्रन्थों) का डाटा एन्ट्री एवं बारकोडिंग किया जाना है । प्रति पाठ्य सामग्री डाटा एण्ट्री पर रू. 4.00 तथा बारकोडिंग (पेपर सहित) पर रू. 1.00 कुल रू. 5.00 अनुमानित है । यह कार्य संविदा आधार पर किया जाना है जिसमें संबंधित फर्म अपने स्वयं के कम्प्यूटर पर ग्रन्थागार भवन में कार्य करेगा । उपरोक्त कार्य पर राशि रू. 6.50 लाख का व्यय अनुमानित है, जो कि विश्वविद्यालय बजट में ग्रन्थागार के लिए प्रावधानित फर्नीचर एवं इक्वीपमेंट राशि रू. 10.00 लाख से देय प्रस्तावित है । प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

आदेशानुसार

(के. के. चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 897 /अका./2005 रायपुर, दिनांक : 27.01.2005

प्रतिलिपि :—

1. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को,
2. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
3. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक :172/अका./2005 रायपुर, दिनांक : 24.01.2005

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की दिनांक 28.01.2005 की आहूत बैठक की विषय सूची क्रमांक 11 में आंशिक संशोधन :–

विषय क्रमांक 11 :– कु. अंजली रस्तोगी एवं श्री कुलदीप महेन्द्र, छात्र एम.टेक कम्प्यूटर टेक्नालॉजी, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त करने हेतु राजभवन से प्राप्त पत्र पर विचार करने बाबत ।

उपरोक्त विषय को निम्नानुसार पढ़ा जाये –

विषय क्रमांक 11 :– राजभवन से प्राप्त पत्र क्रमांक 628/आर.बी./एल.ए./04, दिनांक 30.11.2004 के संदर्भ में कु. अंजली रस्तोगी एवं श्री कुलदीप महेन्द्र, छात्र एम.टेक कम्प्यूटर टेक्नालॉजी, प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना ।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक :173/अका./2005 रायपुर, दिनांक : 24.01.2005

प्रतिलिपि :–

1. कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.) ।
3. सचिव, वित्त विभाग, छ.ग.शासन, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.) ।
4. कुलपति की सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।

कुलसचिव